(वाद सं0.-5481/18)

26.07.2019

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के साथ परिवादी का जो आवेदन प्राप्त हुआ है, वह पूर्व में ही बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा संचिका संख्या 5481/2018 द्वारा, परिवादी कन्हैया प्रसाद गुप्ता के परिवाद पत्र मे उल्लेखित मामले को भूमि विवाद पाते हुए सक्षम न्यायालय में सर्म्पक करने हेतु, निर्देष के साथ, मामले को समाप्त कर दिया गया है।

पुनः परिवादी की ओर से इस आषय का आवदेन दिया गया है कि ब्रिजनंदन गुप्ता, विष्वनाथ गुप्ता उर्फ पप्पु गुप्ता, लीला देवी बगैरह द्वारा अवर न्यायाधीष, प्रथम, लखीसराय के स्थल पर यथापूर्वस्थिति बनाए रखने संबंधी न्यायिक आदेष का उल्लंधन किया जा रहा है।

उपरोक्त मामला एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा निषेधाज्ञा से संबंधित न्यायालय के आदेष का उल्लंधन किये जाने पर सिविल प्रक्रिया संहिता प्रावधानुसार संबंधित न्यायालय में आवेदन एवं साक्ष्य देकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। उक्त मामला मानवाधिकार अतिक्रमण के श्रेणी में नहीं आता है।

उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को पुनर्जीवित करने की आवष्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः संचिका बंद की जाती है।

तद्नुसार आवेदक को सूचित कर दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक